पदाधिकारी का आदेश हस्ताक्षर एवं हस्ताक्षर

इस प्रकार उक्त तथ्यों, प्रस्तुत कागजातों एवं अंचल अमीन के मापी एवं सीमांकन प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विवादित भूमि रैयति खाते की है, जिसमें उभय पक्ष के बीच पूर्व से विवाद चला आ रहा है, जिसके बाबत पूर्व में भी तत्कालीन अंचल अधिकारी द्वारा तत्कालीन पक्षकारो के बीच विषयगत भूमि के संदर्भ में निर्णय दिया जा चुका है। परन्तु उक्त फैसला पर प्रथम पक्ष सहमत नही है। और पुनः आवेदन समर्पित कर न्यायालय में गुहारा लगया गया है। विधि व्यवस्था भंग होने की संभावना को देखते हुए प्रथम पक्ष के आवेदन के आलोक में सुनवाई की गई। और उभय पक्ष के सहमति से राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीखक से जॉच कराकर विवादित भूमि अंचल अमीन से मापी एवं सीमांकन कराया गया। जिसमें भूमि की स्थिति स्पष्ट कर दी गई है। तथा ट्रेस नक्शा में स्थिति एवं अवस्थिति को रेखांकित कर दिया गया है। इसलिए उभय पक्ष को आदेश दिया जाता है कि अंचल अमीन द्वारा समर्पित अभिलेखवद्ध मापी एवं सीमांकन प्रतिवेदन वो ट्रेस नक्शा के आलोक में ही अपना–अपना शांतिपूर्वक कार्य करेंगे। और अंचल अमीन का मापी प्रतिवेदन एवं नक्शा आदेश का अंश समझा जायेगा। और यदि प्रथम पक्ष संतुष्ट नहीं है, तो वे सक्षम न्यायालय जाने को स्वतंत्र है।

इसी निष्कर्ष के साथ वाद की कार्यवाही बंद की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

22/8/2020

अंचल अधिकारी
डुमरी।

22/8/2020

अंचल अधिकारी
डुमरी।